न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 67/2021

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर/बिसाऊ

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 16.08.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कोदेसर पटवार हल्का कोदेसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 3.24 है0, ख0न0 228/662 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं भूमि अवस्थित है जो रामस्वरूप दतक पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी कोदेसर की खातेदारी में दर्ज है। उक्त जमीन के खातेदार आवेदक बैंक शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत ऋण ले रखा है। उक्त जमीन के रहन के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 13.04.2000 को मंजुर हो चुका है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 321 का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है। इस कारण ऋणी आगे बेइमानी से दुबारा रहन रख सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन हाल ख0न0 228 व 228/662 वाके ग्राम कोदेसर के बाबत रहन नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 13.04.2000 का अमल राजस्व रिकार्ड में किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक तहसीलदार बिसाऊ को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बिसाऊ से आदिनांक तक रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नहीं होने पर जवाब बंद किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। आवेदक बैंक द्वारा जमीन के खातेदार को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत उपलब्ध कराये गये ऋण के बदले जमीन के रहन के मुताबिक स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 13.04.2000 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये-जाने का अनुतोष चाहा गया है। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर जांच में खातेदार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत प्राप्त ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई गई हो तो खातेदार की जमीन बैंक के नाम रहन दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/08/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर